बीएचईएल के
पदनामित व्यक्तियों एवं उनके निकटतम संबंधियों के व्यापार का नियमन एवं रिपोर्टिंग
तथा
निष्पक्ष प्रकटीकरण
हेतु आचार संहिता

BHEL
CODE OF CONDUCT
FOR
REGULATING & REPORTING TRADING
BY DESIGNATED PERSONS & THEIR
IMMEDIATE RELATIVES
AND
FOR FAIR DISCLOSURE

विषय-सूची

क्रम संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
अध्याय I– **परिचय**		
1.	परिचय	3
2.	नीति और दायित्व	3
3.	संहिता का उद्देश्य	4
4.	प्रयोज्यता	4
5.	परिभाषाएं	4
अध्याय II- यूपीएसआई की गोपनीयता और संचार		
6.	अनुपालन अधिकारी	8
7.	अप्रकाशित मूल्य की संवेदनशील सूचना का संरक्षण	8
अध्याय III-व्यापारिक प्रतिबंध		
8.	यूपीएसआई के अधिकार में होने पर व्यापर	11
9.	व्यापार (ट्रेडिंग) विंडो (व्यापारिक खिड़की)	11
10.	व्यापार की पूर्व मंजूरी	12
11.	व्यापारिक योजनाएं	13
अध्याय IV- रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण आवश्यकताएं		15
अध्याय V- विविध		
13.	संहिता उल्लंघन पर दंड	18
14.	बीएचईएल वेबसाइट पर संहिता अपलोड करना	18
15.	संहिता का प्रसार	18
अनुलग्नक- I: निष्पक्ष प्रकटीकरण हेतु संहिता के अभ्यास और प्रक्रिया		19

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के
पदनामित व्यक्तियों एवं उनके निकटतम संबंधियों
के व्यापार का नियमन एवं रिपोर्टिंग तथा निष्पक्ष प्रकटीकरण
हेतु आचार संहिता

अध्याय I

1. परिचय

कंपनी के निदेशक मंडल ने 26 अगस्त, 2002 को आयोजित अपनी 342 वीं बैठक में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2002 के अनुपालन में, "अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध हेतु आचार संहिता" को स्वीकृति दी थी। यह तत्काल प्रभाव से लागू हुआ। तदुपरांत, निदेशक मंडल की 409 वीं बैठक दिनांक 29 जनवरी, 2009 में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम 2008 (नवंबर, 2008 में जारी) के अनुसार इस संहिता में संशोधित कर इसे अपनाया गया।

इसके बाद, कंपनी अधिनियम, 2013 के अगस्त 2013 में आरंभ होने तथा 15 जनवरी, 2015 को जारी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 के अनुसार निदेशक मंडल ने 6 अप्रैल 2015 को आयोजित अपनी 469 वीं बैठक में आचार संहिता संशोधित कर अपनाया।

कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017 तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2018 के अनुसार, निदेशक मण्डल एतद द्वारा भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की संशोधित "पदनामित व्यक्तियों एवं उनके निकटतम संबंधियों के व्यापार का नियमन एवं रिपोर्टिंग तथा निष्पक्ष प्रकटीकरण हेतु आचार संहिता" को अंगीकार करता है। यह 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी होगी।

2. नीति और दायित्व

कंपनी अप्रकाशित मूल्य जैसी संवेदनशील जानकारी की गोपनीयता को संरक्षित करने और ऐसी जानकारी के दुरुपयोग को रोकने का प्रयास करती है। कंपनी सभी हितधारकों के साथ व्यवहार करते समय सभी नियमों और कानूनों का पालन सुनिश्चित करते हुए पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए प्रतिबद्ध है।

कंपनी के प्रत्येक निदेशक और अन्य पदनामित व्यक्तियों का कर्तव्य है कि वह कंपनी में अपने काम के दौरान प्राप्त हुई ऐसी सभी सूचनाओं की गोपनीयता को सुरक्षित (बनाए) रखे। कोई भी निदेशक और अन्य पदनामित व्यक्ति, व्यक्तिगत लाभ हेतु या किसी तीसरे पक्ष को लाभ पहुंचाने के लिए कंपनी के अपने पद या ज्ञान का उपयोग नहीं कर सकते हैं।

3. संहिता का उद्देश्य

संहिता का उद्देश्य भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के पदनामित व्यक्तियों एवं उनके निकटतम संबंधियों के व्यापार का नियमन, निगरानी और रिपोर्टिंग करना है। संहिता में अप्रकाशित मूल्य की संवेदनशील जानकारी के निष्पक्ष प्रकटीकरण के लिए प्रथाओं एवं प्रक्रियाओं का भी प्रावधान है।

4. प्रयोज्यता

इस संहिता में वर्णित सभी पदनामित व्यक्तियों और उनके निकट संबंधियों पर यह संहिता लागू होगी।

5. परिभाषाएं

इस संहिता में**,** जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

(i) "भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम" या "अधिनियम" का अर्थ है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992;

(ii) "विनियम" का अर्थ है समय-समय पर संशोधित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015;

(iii) "कंपनी" का अर्थ है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल);

(iv) "संहिता" का अर्थ है समय-समय पर संशोधित "पदनामित व्यक्तियों एवं उनके निकटतम संबंधियों के व्यापार का नियमन एवं रिपोर्टिंग तथा निष्पक्ष प्रकटीकरण हेतु बीएचईएल आचार संहिता";

(v) "संबंधित व्यक्ति" से अभिप्राय है-

(i) ऐसा कोई भी व्यक्ति जो संबंधित अधिनियम के छह माह पूर्व से कंपनी अधिकारियों से बारंबार संपर्क में होने के कारण अथवा संविदात्मक, प्रत्ययी या रोजगार के कारण अथवा अस्थायी या स्थायी निदेशक, अधिकारी या कंपनी का कर्मचारी होने के कारण अथवा कंपनी के साथ किसी भी प्रकार की पेशेवर या व्यावसायिक संबंध की स्थिति में होने के कारण अथवा अन्य किसी भी कारण से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में कंपनी से सम्बद्ध रहा है या था, एवं यह सम्बद्धता उसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी उपलब्ध कराती हो अथवा उपलब्धता के पर्याप्त कारण देती हो।

(ii) पूर्वगामी तथ्यों की सार्वभौमिकता के पूर्वाग्रह के बिना**,** निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों को तब तक संबद्ध व्यक्ति माना जाएगा जब तक कि इसके विपरीत सिद्ध न हो जाए**-**

(क) उपनियम (i) में विनिर्दिष्ट "संबंधित व्यक्तियों" के कोई निकटतम रिश्तेदार; अथवा
(ख) कोई होल्डिंग कंपनी या सहयोगी कंपनी या सहायक कंपनी**;** अथवा
(ग) अधिनियम की धारा 12 में निर्दिष्ट कोई मध्यस्थ या उसके कर्मचारी या निदेशक**;** अथवा
(घ) कोई निवेश कंपनी**,** न्यासी कंपनी**,** परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी या उसके कर्मचारी या उसके निदेशक**;** अथवा
(ङ) स्टॉक एक्सचेंज या क्लियरिंग हाउस या निगम का कोई कार्मिक**;** अथवा
(च) म्यूचुअल फंड के न्यासी मण्डल का कोई सदस्य या म्यूचुअल फंड की परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी के निदेशक मंडल का कोई सदस्य या उसका कर्मचारी**;** अथवा
(छ) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (72) में परिभाषित सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के निदेशक मंडल के सदस्य या कर्मचारी**;** अथवा

(ज) सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त या अधिकृत स्व-नियामक संगठन का कोई अधिकारी या कर्मचारी**;** अथवा

(झ) कंपनी का एक बैंकर**;** अथवा

(ञ) एक क्रियाशील फर्म**,** न्यास**,** हिंदू अविभाजित परिवार**,** कंपनी या व्यक्तियों का संघ जिसमें किसी कंपनी के निदेशक या उसके निकटतम रिश्तेदार या कंपनी के बैंकर की हिस्सेदारी या ब्याज का दस प्रतिशत से अधिक है**;**

(vi) **"पदनामित कर्मचारी" का अर्थ कंपनी में निम्नलिखित में से किसी एक स्थिति को धारण किए व्यक्ति से है:**

क. सभी निदेशक और मुख्य सतर्कता अधिकारी

ख. मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

ग. सभी कार्यपालक निदेशक

घ. सभी महाप्रबंधक

ङ. इकाइयों / प्रभागों / क्षेत्रों के सभी वित्त प्रमुख

च. कॉर्पोरेट वित्त के बुक्स, बजट, वित्तीय सेवा और प्रत्यक्ष कराधान अनुभागों में काम करने वाले सभी कर्मचारी

छ. कंपनी सचिवालय और विधि (लॉ) विभाग में काम करने वाले सभी कर्मचारी।

ज. सीएमडी / कार्यात्मक निदेशकों के सचिवालय में काम करने वाले सभी कर्मचारी

झ. कोई भी सहायक कर्मचारी जैसे आईटी कर्मचारी जिसकी यूपीएसआई तक पहुँच है

ञ. कोई अन्य प्रमुख व्यक्ति, जो अनुपालन अधिकारी की राय में "पदनामित कर्मचारी" में शामिल किया जाए;

(vii) कंपनी के संबंध में **"पदनामित व्यक्ति"** का अर्थ निम्नलिखित व्यक्तियों में से कोई है:

क. कंपनी का एक पदनामित कर्मचारी

ख. कंपनी के वास्तविक सहायक कंपनी (यदि कोई हो तो) के कर्मचारी, जिनको उनके निदेशक मंडल द्वारा यूपीएसआई तक उनकी कार्यात्मक भूमिका / पहुंच के आधार पर नामित किया गया है, परंतु निम्नलिखित विशेष रूप से इसमें शामिल होंगे:

- मुख्य कार्यपालक अधिकारी
- मुख्य कार्यपालक अधिकारी से दो स्तर नीचे तक के कर्मचारी, चाहे उनकी कार्यात्मक भूमिका या यूपीएसआई तक पहुंच की क्षमता कुछ भी हो

ग. कंपनी के प्रमोटर

घ. कोई अन्य प्रमुख व्यक्ति, जो अनुपालन अधिकारी की राय में " **पदनामित व्यक्ति**" में शामिल हो;

(viii) **"निदेशक"** का अर्थ कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्य है;

(ix) कंपनी के संबंध में "**प्रत्ययी**" (**Fiduciary**) से आशय लेखाकारों**,** लेखा फर्मों**,** कानून फर्मों**,** विश्लेषकों**,** इनसॉल्वेंसी पेशेवर संस्थाओं**,** सलाहकारों**,** बैंकों आदि जैसे पेशेवर फर्मों से है**,** जो कंपनी को सहायता या सलाह देते हैं**;**

(x) "**सामान्यत: उपलब्ध जानकारी**" का अर्थ है ऐसी जानकारी जो जनता के लिए गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर पहुंच योग्य है;

(स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर प्रकाशित सूचना**,** सामान्यत: पर सामान्यत: उपलब्ध जानकारी मानी जाएगी।)

(xi) **"निकटतम संबंधी"** का अर्थ किसी व्यक्ति का जीवनसाथी होता है, और इसमें ऐसे व्यक्ति के पति या पत्नी के माता-पिता, भाई-बहन और बच्चा शामिल होता है, जिनमें से कोई भी उस व्यक्ति पर आर्थिक रूप से निर्भर होता है, या उस व्यक्ति को प्रतिभूतियों में व्यापार (ट्रेडिंग) से संबंधित निर्णय लेने के लिए सलाह देता है।

(xii) **"आंतरिक (इनसाइडर)"** का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जो है:
I) एक सम्बद्ध व्यक्ति; या
ii) अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी (UPSI) तक पहुंच रखने वाला हो;

(xiii) कंपनी के संबंध में **"मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक"** या **"केएमपी"** का अर्थ है:-
क. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
ख. सभी पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशक
ग. कंपनी सचिव और
घ. ऐसे अन्य अधिकारी जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित किए जा सकते हैं;

(xiv) **"प्रतिभूतियों"** में शामिल हैं:
क. शेयर**,** बॉन्ड**,** डिबेंचर या अन्य विपणन योग्य प्रकृति की प्रतिभूतियां;
ख. कंपनी की प्रतिभूतियों में किसी भी प्रकार का डेरिवेटिव**;** और
ग. प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम**,** 1956 के तहत प्रतिभूतियों के रूप में मान्यता प्राप्त और कंपनी द्वारा समय-समय पर जारी किए गए ऐसे अन्य विलेख**;**

(xv) **"शेयर बाजार (स्टॉक एक्सचेंज)"** का अर्थ है:
क. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज**;** तथा
ख. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड;

(xvi) **"व्यापार (ट्रेडिंग)"** का अर्थ है सदस्यता लेना, खरीदना, बेचना, व्यवहार करना, या किसी भी प्रतिभूतियों में सदस्यता लेने, खरीदने, बेचने, सौदा करने के लिए सहमत होना और "व्यापार" का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा;

(xvii) **" व्यापार दिवस (ट्रेडिंग डे)"** का अर्थ है वह दिन है, जिस दिन व्यापार (ट्रेडिंग) के लिए वे मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज खुले हैं, जहां कंपनी की प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं;

(xviii) "**व्यापार काल (ट्रेडिंग विंडो)"** का अर्थ है कंपनी की प्रतिभूतियों में व्यापार (ट्रेडिंग) के लिए व्यापार (ट्रेडिंग) अवधि है। व्यापार (ट्रेडिंग) विंडो बंद होने को छोड़कर सभी दिन व्यापार (ट्रेडिंग) पीरियड होंगे;

(xix) **"**अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी" या "यूपीएसआई" का अर्थ है किसी कंपनी या उसकी प्रतिभूतियों से संबंधित कोई भी जानकारी**,** प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से**,** जो आम तौर पर उपलब्ध नहीं

होती है, जो आम तौर पर उपलब्ध होने पर प्रतिभूतियों की कीमत के भौतिक (मूर्त) रूप से प्रभावित करने की संभावना होती है, आम तौर पर निम्नलिखित से संबंधित जानकारी शामिल है, लेकिन इसी तक सीमित नहीं है: -

1. वित्तीय परिणाम;
2. लाभांश;
3. पूंजी संरचना में परिवर्तन;
4. विलय, डी-मरजर्स (विलय), अधिग्रहण, डीलिस्टिंग, निपटान और व्यवसाय का विस्तार और अन्य ऐसे लेनदेन;
5. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों में परिवर्तन।

अनुपालन अधिकारी मूल्य संवेदनशील सूचना के रूप में किसी अन्य मामले पर भी निर्णय ले सकता है;

अन्य सभी शब्दों और वाक्यांशों का अर्थ वही होगा जो समय-समय पर संशोधित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 के अंतर्गत परिभाषित है। इन विनियमों में प्रयोग किए गए और परिभाषित नहीं किए गए शब्द और अभिव्यक्तियाँ, लेकिन जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992, प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956, डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 या कंपनी अधिनियम, 2013, संशोधित नियमों और विनियमों में परिभाषित हैं। तो उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों का अर्थ क्रमशः उस विधान में उनके लिए नियत लिया जाएगा।

अध्याय II
यूपीएसआई की गोपनीयता और संचार

6. अनुपालन अधिकारी

6.1 संहिता के प्रयोजन के लिए निदेशक (वित्त) अनुपालन अधिकारी होंगे।

6.2 अनुपालन अधिकारी नीतियों, प्रक्रियाओं के अनुपालन, अभिलेखों के रखरखाव, यूपीएसआई संरक्षण के लिए नियमों के अनुपालन की निगरानी, लेन-देन (ट्रेडों) की निगरानी और आचार संहिता के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा। यह कार्य निदेशक मंडल के समग्र पर्यवेक्षण के अंतर्गत होंगे।

6.3 अनुपालन अधिकारी अंतरग व्यापार प्रतिषेध (रोकथाम) नियमों में दी गई अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्त और प्रभावी प्रणाली सुनिश्चित करेगा।

6.4 पदनामित कर्मचारियों का रिकॉर्ड अनुपालन अधिकारी के समग्र पर्यवेक्षण और नियंत्रण में कॉर्पोरेट-मा.सं. द्वारा रखा जाएगा और समय-समय पर सूची में होने वाले परिवर्तनों को उसमें शामिल किया जाएगा।

6.5 इस संहिता के कार्यान्वयन के संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण अनुपालन अधिकारी प्रदान करेगा। कंपनी सचिव उस कार्य के निर्वहन में अनुपालन अधिकारी की सहायता करेगा।

6.6 अनुपालन अधिकारी अपनी अनुपस्थिति में अनुपालन अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी या कंपनी सचिव को नामित करेगा।

7. यूपीएसआई का संरक्षण

7.1 सभी अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारीयों को चिह्नित किया जाएगा और इसकी गोपनीयता सुनिश्चित की जाएगी।

7.2 सभी पदनामित व्यक्ति मूल्य संवेदनशील जानकारी की गोपनीयता बनाए रखेंगे। सभी सूचनाओं को संगठन के अंदर जानने की आवश्यकता के आधार पर नियंत्रित किया जाएगा और विधिक उद्देश्यों, कर्तव्यों के निर्वहन या कानूनी दायित्वों के निर्वहन को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी नहीं दी जाएगी।

7.3 उन सभी कर्मचारियों और अन्य व्यक्तियों की सूची बनाकर रखी जाएगी, जिनके साथ अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी साझा की जाती है, तथा गोपनीयता समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे या ऐसे सभी कर्मचारियों और व्यक्तियों को सूचित किया जाएगा।

7.4 कोई भी आंतरिक सूत्र किसी कंपनी या सूचीबद्ध या सूचीबद्ध होने के लिए प्रस्तावित प्रतिभूतियों से संबंधित किसी भी अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी को अन्य आंतरिक सूत्रों सहित किसी

भी व्यक्ति को नहीं देगा या एक्सेस की अनुमति नहीं देगा, जब तक की ऐसा करना विधिक उद्देश्यों, कर्तव्यों के निर्वहन, कानूनी दायित्वों के निर्वहन के अंतर्गत न हो।

7.5 विधिक उद्देश्यों, कर्तव्यों के निर्वहन या कानूनी दायित्वों के निर्वहन को छोड़कर, कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी या सूचीबद्ध या सूचीबद्ध होने के लिए प्रस्तावित प्रतिभूतियों से संबंधित अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी को किसी भी आंतरिक सूत्र से साझा नहीं करेगा या नहीं बताएगा।

7.6 "विधिक उद्देश्य" के अनुसार अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को "आंतरिक सूत्र" माना जाएगा और ऐसे व्यक्तियों को ऐसी अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी की गोपनीयता बनाए रखने के लिए सूचित किया जाएगा।

7.7 संहिता में किसी भी बात के होते हुए भी, उन लेन-देन के संबंध में अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी को संप्रेषित, प्रदत्त, अनुमत किया जा सकता है, जो: -

(i) अधिग्रहण विनियमों के अंतर्गत एक खुला प्रस्ताव करने की बाध्यता रखता हो, जिसमें कंपनी के निदेशक मंडल की सूचित राय है कि ऐसी जानकारी का प्रकटीकरण कंपनी के सर्वोत्तम हित में है;

(ii) अधिग्रहण विनियमों के अंतर्गत एक खुला प्रस्ताव करने की बाध्यता नहीं रखता हो, परंतु कंपनी के निदेशक मंडल को सूचित राय है कि ऐसी जानकारी का प्रकटीकरण कंपनी के सर्वोत्तम हित में है और जो जानकारी अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी का गठन करती है, उसे सामान्यत: प्रस्तावित लेनदेन से कम से कम दो कारोबारी दिन पहले उपलब्ध कराने के लिए प्रसारित किया जाता है, जैसा कि निदेशक मंडल सभी प्रासंगिक और भौतिक तथ्यों को कवर करने के लिए पर्याप्त और निष्पक्ष होने का निर्धारण कर सकता है।

7.8 उपरोक्त खंड के प्रयोजन के लिए, पार्टियों को अनुबंध गोपनीयता और गैर-प्रकटीकरण दायित्वों के लिए ऐसे पक्षों की ओर से अनुबंध निष्पादित करने की आवश्यकता होगी और ऐसे पक्ष उपनियम 7.7 के उद्देश्य को छोड़कर, इस प्रकार प्राप्त जानकारी को गोपनीय रखेंगे और अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के कब्जे में होने पर कंपनी की प्रतिभूतियों में अन्यथा व्यापार न करें।

7.9 यूपीएसआई के त्वरित सार्वजनिक प्रकटीकरण के उद्देश्य से, कंपनी अनुबंध-**I** में निर्धारित निष्पक्ष प्रकटीकरण के लिए प्रथाएँ एवं प्रक्रिया हेतु संहिता को भी अपनाती है। "विधिक उद्देश्यों" के निर्धारण के लिए नीति को उचित प्रकटीकरण संहिता के एक भाग के रूप में शामिल किया गया है।

7.10 कॉर्पोरेट मा.सं. द्वारा एक संरचित डिजिटल डेटाबेस बनाया एवं अनुरक्षित रखा जाएगा जिसमें जानकारी साझा किए जाने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं (जो भी हो) के नाम उनके पैन कार्ड (या कानून द्वारा अधिकृत कोई अन्य पहचानकर्ता जहां पैन उपलब्ध नहीं है) सहित दर्ज होंगे। इस तरह के डेटाबेस को टाइम स्टैम्पिंग और ऑडिट ट्रेल्स जैसे पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण और चेक के साथ अनुरक्षित किया जाएगा ताकि डेटाबेस से छेड़छाड़ न हो सके। उक्त यूपीएसआई को साझा करने के **2** कार्य दिवसों के भीतर संबंधित विभागाध्यक्षों द्वारा इस संबंध में इनपुट सुनिश्चित किया जाएगा।

अध्याय III
व्यापारिक प्रतिबंध

8. अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी (यूपीएसआई) के होने पर व्यापार (ट्रेडिंग)

अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी होने पर कोई भी अंदरूनी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध या सूचीबद्ध होने के लिए प्रस्तावित प्रतिभूतियों में व्यापार नहीं करेगा। ऐसा व्यक्ति जिसने प्रतिभूतियों का व्यापार किया है तथा उसके पास अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी है, तो उसके व्यापार को उसके पास उपलब्ध जानकारी के ज्ञान और जागरूकता से प्रेरित माना जाएगा।

9. व्यापारिक खिड़की (व्यापार (ट्रेडिंग) विंडो)

9.1 व्यापार (ट्रेडिंग) विंडो उस समय के दौरान बंद हो जाएगी जब खंड 9.2 में निर्दिष्ट जानकारी सामान्य तौर पर उपलब्ध हो जाती है।

9.2 **व्यापार (ट्रेडिंग) विंडो अन्य बातों के साथ-साथ बंद रहेगी:-**

(a) तिमाही और अर्ध-वार्षिक वित्तीय परिणामों की घोषणा के मामले में बोर्ड की बैठक से दस दिन पहले और वार्षिक वित्तीय परिणामों की घोषणा के मामले में बोर्ड की बैठक से तीस दिन पहले;

(b) अंतरिम लाभांश की घोषणा के लिए बोर्ड की बैठक से दस दिन पहले और अंतिम लाभांश की घोषणा के लिए बोर्ड की बैठक से तीस दिन पहले;

(c) पूंजी संरचना में परिवर्तन के लिए बोर्ड की बैठक से दस दिन पहले जैसे प्रतिभूतियों को सार्वजनिक/अधिकार/बोनस, बाय-बैक इत्यादि के माध्यम से जारी करना;

(d) किसी भी विलय, डी-विलय, अधिग्रहण, डीलिस्टिंग, निपटान और व्यवसाय के विस्तार और ऐसे अन्य लेनदेन को मंजूरी देने के लिए आयोजित बोर्ड की बैठक से दस दिन पहले;

(e) ऐसी अवधि के लिए और ऐसी किसी अन्य महत्वपूर्ण घटना के लिए जो अनुपालन अधिकारी द्वारा उचित समझी जाए;

हालाँकि, यदि परिस्थितियाँ ऐसी हों तो विंडो बंद करने का समय अनुपालन अधिकारी तथा अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के अनुमोदन से बढ़ाया या घटाया जा सकता है।

9.3 क्लॉज 9.2 में निर्दिष्ट जानकारी सामान्य रूप से उपलब्ध होने के 48 घंटे बाद व्यापार (ट्रेडिंग) विंडो खोली जाएगी।

9.4 सभी पदनामित व्यक्ति और उनके निकटतम संबंधी कंपनी की प्रतिभूतियों में अपना सारा व्यापार केवल वैध व्यापार (ट्रेडिंग) विंडो में करेंगे और व्यापार (ट्रेडिंग) विंडो बंद होने की अवधि के दौरान कंपनी की प्रतिभूतियों में व्यापार नहीं करेंगे, जैसा कि क्लॉज 9.2 में निर्दिष्ट है या कंपनी द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट की जा सकने वाली किसी अन्य के दौरान अवधि।All Designated Persons and their immediate relatives shall conduct all their trading in the securities of the company only in a valid trading window and shall not trade in Company's securities during the periods when trading window is closed, as referred to in

clause 9.2 or during any other period as may be specified by the Company from time to time.

9.5 In case of ESOPs, exercise of option may be allowed in the period when the trading window is closed. However sale of shares allotted on exercise of ESOPs shall not be allowed when trading window is closed.

10. Pre-clearance of Trades

10.1 All Designated Persons and their immediate relatives who intend to trade in the securities of the company above a minimum of 2500 shares of the Company per transaction should pre-clear the transactions as per the pre-trading procedure as described hereunder.

10.2 An application shall be made in Form PIT-1 to the Compliance Officer indicating the estimated number of securities that the Designated Persons or their immediate relatives intends to trade in, the details as to the depository with which he has a security account, the details as to the securities in such depository mode and such other details as may be required by any rule made by the Company in this behalf.

10.3 All Designated Persons and their immediate relatives shall execute their order in respect of securities of the Company within seven trading days after the approval of pre-clearance is given. If the order is not executed within the aforementioned specified period, the Designated Person must pre-clear the transaction again.

10.4 In case the Designated Person or his/ her immediate relative decides not to execute the trade after securing pre-clearance, he/ she shall inform the Compliance Officer of such decision immediately.

10.5 Prior to approving any trades, the Compliance Officer shall be entitled to seek declarations to the effect that the applicant for pre-clearance is not in possession of any unpublished price sensitive information. He shall also have regard to whether any such declaration is reasonably capable of being rendered inaccurate.

10.6 It shall be the responsibility of Designated Persons to ensure compliance of clauses 10.1 to 10.4 above in case of their immediate relatives also.

10.7 All Designated Persons who buy or sell any number of shares of the company shall not execute a contra trade i.e. sell or buy any number of shares during the next six months following the prior transaction. Provided that this shall not be applicable for trades pursuant to exercise of stock options.

10.8 The Compliance Officer may grant relaxation from strict application of such restriction for reasons to be recorded in writing provided that such relaxation does not violate the regulations.

10.9 Should a contra trade be executed, inadvertently or otherwise, in violation of such a restriction, the profits from such trade shall be liable to be disgorged for remittance to SEBI for credit to the Investor Protection and Education Fund administered by SEBI under the Act.

11. Trading Plans

11.1 An Insider shall be entitled to formulate a trading plan and present it to the Compliance Officer for approval and public disclosure pursuant to which trades may be carried out on his behalf in accordance with such plan.

11.2 Such trading plan shall:–

(i) not entail commencement of trading on behalf of the insider earlier than six months from the public disclosure of the plan;
(ii) not entail trading for the period between the twentieth trading day prior to the last day of any financial period for which results are required to be announced by the Company and the second trading day after the disclosure of such financial results;
(iii) entail trading for a period of not less than twelve months;
(iv) not entail overlap of any period for which another trading plan is already in existence;
(v) set out either the value of trades to be effected or the number of securities to be traded along with the nature of the trade and the intervals at, or dates on which such trades shall be effected; and
(vi) not entail trading in securities for market abuse.

11.3 The Compliance Officer shall review the trading plan to assess whether the plan would have any potential for violation of the Regulations and shall be entitled to seek such express undertakings as may be necessary to enable such assessment and to approve and monitor the implementation of the plan.

11.4 Pre-clearance of trades shall not be required for a trade executed as per an approved trading plan. Further, trading window norms and restrictions on contra

trade shall not be applicable for trades carried out in accordance with an approved trading plan.

11.5 The trading plan once approved shall be irrevocable and the insider shall mandatorily have to implement the plan, without being entitled to either deviate from it or to execute any trade in the securities outside the scope of the trading plan.

Provided that the implementation of the trading plan shall not be commenced if any unpublished price sensitive information in possession of the insider at the time of formulation of the plan has not become generally available at the time of the commencement of implementation and in such event the Compliance Officer shall confirm that the commencement ought to be deferred until such unpublished price sensitive information becomes generally available information.

11.6 Upon approval of the trading plan, the Compliance Officer shall notify the plan to the stock exchanges on which the securities are listed.

CHAPTER IV
REPORTING AND DISCLOSURE REQUIREMENTS

12.1 Disclosure Requirements

Initial Disclosures

By Whom	What to be disclosed	When to be disclosed	Form
Promoter/ member of the promoter group/ Director/ KMP to the Compliance Officer	Holding of securities of the Company as on the date of the Regulations taking effect i.e. 15.05.2015	Within thirty days of the Regulations taking effect i.e. 15.05.2015	In Form Prescribed by SEBI
Promoter/ member of the promoter group/ Director/ KMP to the Compliance Officer	Holding of securities of the Company as on date of appointment or becoming Promoter	Within seven days of such appointment or of becoming Promoter	In Form Prescribed by SEBI
Designated Persons to the Company	1. Name & PAN (or any other identifier authorized by law) of the following persons: a) Immediate Relatives b) Persons with whom the designated person shares a material financial relationship c) Phone, mobile & cell numbers which are used by the above persons 2. Names of educational institutions from which the designated person has graduated 3. Names of past employers	Within 30 days of becoming a Designated Person	Form PIT-2

Continual Disclosures

By Whom	What to be disclosed	When to be disclosed	Form
Promoter/ member of the promoter group/ Director/ Designated Person to the Compliance Officer	Number of such securities acquired or disposed	Within two trading days of such transaction if the value of the securities traded, whether in one transaction or a series of transactions over any calendar quarter, aggregates to a traded value in excess of Rs. 10 lakh or such other value as may be specified. **disclosure of incremental transactions shall be made when transactions effected after the prior disclosure cross the threshold specified above.*	In Form Prescribed by SEBI
Company to the Stock exchange where securities are listed	Details of disclosure by Promoter/ Director/ Designated Person	Within two trading days of receipt of disclosure or becoming aware of such disclosure	In Form Prescribed by SEBI
Designated Persons to the Company	Name & PAN (or any other identifier authorized by law) of the following persons: a) Immediate Relatives b) Persons with whom the designated person shares a material financial relationship c) Phone, mobile & cell numbers which are used by the above persons.	1. Within 30 days of the end of the financial year. 2. Whenever the information changes vis-à-vis their last disclosure, within 30 days from the change.	Form PIT-2

12.2 For the purposes of Clause 12.1, the term "material financial relationship" shall mean a relationship in which one person is a recipient of any kind of payment such as by way of a loan or gift during the immediately preceding 12 months,

equivalent to at least 25% of such payer's annual income but shall exclude relationships in which the payment is based on arm's length transactions.

12.3 Updated Forms with regard to the Code shall be available on BHEL intranet.

12.4 The disclosures to be made by any person under Clause 12.1 shall include those relating to trading by such person's immediate relatives, and by any other person for whom such person takes trading decisions.

12.5 The disclosures of trading in securities shall also include trading in derivatives of securities and the traded value of the derivatives shall be taken into account for purpose of Clause 12.1.

12.6 The Compliance Officer shall maintain records of all the disclosures/ declarations/ undertakings/ forms as mentioned in this Code, as received from time to time, for a period of five years.

12.7 The Compliance Officer shall report to the Board of Directors for the purpose of the Code and in particular, shall provide reports to the Chairman of the Audit Committee and to the Chairman of the Board annually.

12.8 The Audit Committee shall review compliance with the provisions of insider trading regulations at least once in a financial year and shall verify that the systems for internal control are adequate and are operating effectively.

CHAPTER IV
MISCELLANEOUS

13. Penalty for Contravention of the Code

13.1 All Designated Persons who trades in securities or communicates any information for trading in securities in contravention of the code of conduct may be penalized and appropriate action may be taken by the Company.

13.2 All Designated Persons who violate this Code of Conduct including leak of UPSI or suspected leak of UPSI shall also be subject to disciplinary action by the Company, which may include wage, salary freeze, suspension, recovery, claw back, withholding of promotions etc.

13.3 Employees shall report instances of leak of UPSI and the same may be done through the Whistleblower Policy of BHEL.

13.4 On becoming aware of leak of UPSI or suspected leak of UPSI, the Compliance Officer shall initiate appropriate inquiries and the relevant Intermediaries and Fiduciaries shall co-operate with the Company in connection with such inquiry.

13.5 The action by the Company shall not preclude SEBI from taking any action in case of violation of the Regulations.

13.6 In case it is observed by the Company and/or Compliance Officer that there has been violation of the Regulations including leak of UPSI, SEBI shall be informed by the Company. The Company shall also inform SEBI promptly of inquiries conducted with regard to the violations and results of such inquiries.

14. Uploading of Code on BHEL Website

This Code and any amendments thereto shall be available on the website of the Company.

15. Dissemination of the Code

The Company shall implement processes for how and when people are brought 'inside' on sensitive transactions. The Heads of the concerned departments shall ensure that individuals are made aware of the duties and responsibilities attached to the receipt of Inside Information, and the liability that attaches to misuse or unwarranted use of such information.

ANNEXURE-I

CODE OF PRACTICE & PROCEDURE FOR FAIR DISCLOSURE

The Code aims at prompt public disclosure of UPSI that would impact price discovery so as to make such information generally available. The disclosure shall be done no sooner than credible and concrete information comes into being. The Code also covers the practices and procedures for fair disclosure of UPSI as well as enumerates what constitutes legitimate purposes for disclosure of UPSI.

1. Uniform and universal dissemination of UPSI shall be ensured to avoid selective disclosure. In case of selective dissemination of UPSI inadvertently or otherwise, it shall be ensured promptly to make such information generally available.

2. Head-CSM, being the Investor Relation Officer of the Company will be the Chief Investor Relations Officer (CIRO) of the Company under this Code to deal with dissemination of information and disclosure of UPSI.

    2.1 CIRO/any other authorized person shall ensure that the information shared with analysts and research personnel is not UPSI and that the principles such as, equality of access to information, calls and meetings with analysts etc. are being followed.

    2.2 CIRO shall ensure development of best practices to make transcripts or records of proceedings of meetings with analysts/other investor relations conferences available on the official website to ensure official confirmation and documentation of disclosures made.

    2.3 The CIRO or any officer authorized by Compliance Officer/CMD shall be invited to meetings/ conferences organized by the Company with the analysts/institutional investors. Apart from CIRO, no person, except those authorized by the Compliance Officer/CMD shall disclose any information relating to the Company's Securities to analysts and institutional investors.

3. In line with the Company practice, Head-Corporate Communication shall ensure release of all official Press Releases simultaneously to Stock Exchanges and Media with a copy to CIRO and Company Secretary. These press releases shall also be posted on the website of the Company.

    3.1 Head- Corporate Communication shall ensure appropriate and fair response to queries on news reports and requests for verification of

market rumours by regulatory authorities/stock exchanges in consultation with Head of the concerned department to which the news report/market rumour pertains and the CIRO.

4. Company Secretary shall ensure that disclosures of shareholding pattern as required under Listing Regulations are made in a timely and adequate manner.

5. Company Secretary shall ensure that disclosure with regard to Quarterly & Annual Financial Results, Dividend and Record Date/Book Closure, etc., as required under Listing Regulations are made in a timely and adequate manner.

6. On receipt of Government order with regard to the appointment of Whole-time Directors including CMD, the same shall be promptly disclosed to the Stock Exchanges. With regard to other changes in KMP, the same shall be disclosed to the Stock Exchanges on the date of such change taking place. However, trading window shall not be closed in this regard unless Compliance Officer decides otherwise.

7. The Board may, if deemed fit, advice any additional disclosure with respect to decision on any agenda item placed before the Board. Company Secretary shall ensure prompt disclosure of the same in accordance with Board's directions.

8. Any other material event having bearing on the performance/operations of the Company as well as price sensitive information pertaining to any Specific Function / Division / Unit shall be promptly reported to Corporate Communication by concerned Functional Head or Unit / Division Head. Corporate Communication after taking approval of Compliance Officer/CMD shall communicate the same to Stock Exchanges, under intimation to CIRO.

9. It shall be ensured that all UPSI shall be handled within the Company on a need-to-know basis and shall not be communicated, provided or allowed access to, except where such communication is in furtherance of legitimate purposes, performance of duties or discharge of legal obligations.

10. For the purpose of the BHEL Code of Conduct for Regulating & Reporting Trading by Designated Persons & their Immediate Relatives and for Fair Disclosure, the term "legitimate purpose" shall include sharing of UPSI in the ordinary course of business by an insider with partners, collaborators, lenders, customers, suppliers, merchant bankers, legal advisors, auditors, insolvency professionals or other advisors or consultants, provided that such sharing has not been carried out to evade or circumvent the prohibitions of these regulations.

Form PIT-1 (Refer Clause 10.2 of the Code)
Format for Application for Pre-clearance

(For use by Designated Persons and their immediate relatives in case of trading in the securities of Company above minimum of 2500 shares of the Company)

To,
The Compliance Officer,
BHEL

Dear Sir,

I am desirous of trading in the below-mentioned securities of the Company in my own name or on behalf of my immediate relatives (write name of relative and relationship) and seek your approval as under:

Type of Security	No. of Securities	Market Price	Mode of acquisition Purchase/ Sale- physical/ Demat/ other	Date by which trade is proposed to be executed	Folio No./ DP ID No./Client ID No. alongwith the name of depository	Present Holding (No. of Shares)	
						Physical	Demat

In relation to the above, I undertake that:

a) I have not contravened the Company's "BHEL Code of Conduct for Regulating & Reporting Trading by Designated Persons & their Immediate Relatives and for Fair Disclosure" as notified by the Company from time to time.

b) In case the traded value exceeds Rs. 10 lakh or any such other value as may be specified, disclosures required under the Code of Conduct will be immediately furnished by me.

c) I have made full and true disclosure in this application.

Signature:
Name:
Designation:
Department:
Company:
Place:

Form PIT-2 (Refer Clause 12.1 of the Code)
Format for Disclosure by Designated Person

To,
The Compliance Officer,
BHEL

Dear Sir,

Pursuant to Clause 12.1. (Initial Disclosure/ Continual Disclosure-*strikethrough which is not applicable*), please find the requisite information for your record:

1. Name & PAN or any other identifier authorized by law of the following persons:			
S. No.	Name of the Immediate Relatives * OR Persons with whom the designated person shares a material financial relationship*	**PAN**	Phone, mobile & cell numbers which are used by the person

2. Names of educational institutions from which the designated person has graduated#	

3) Names of past employers#	

**For definition of "immediate relative" & "material financial relationship" please refer to relevant Clauses of the Code.*
 # Information for Points 2 & 3 have to be provided only at the time of Initial Disclosure

I hereby declare that the particulars given above are true and in case of any change the same shall be disclosed to the Company as required.

Signature:
Name:

PAN :
Designation:
Department:
Company:
Place: